"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111] रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 मई 2009—वैशाख 23, शक 1931

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-13/2009/वाक. (पं.)/पांच (21).—राज्य सरकार द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-37/2008/वाक (पं.)/पांच (31), दिनांक 16-04-2008 द्वारा "नया रायपुर" परियोजना हेतु नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी के पक्ष में निष्पादित निजी भूमि क्रय संबंधी लिखतों पर वर्ष 2008-09 के लिए दिनांक 31-03-2009 तक स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई थी. राज्य शासन एतद्द्वारा स्टाम्प शुल्क से उपरोक्त छूट की अवधि को वर्ष 2009-10 के लिए दिनांक 31-03-2010 तक वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 मई 2009

क्रमांक एफ 10-13/2009/वाक. (पं.)/पांच (21).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-13/2009/वाक. (पं.)/पांच (21), दिनांक 13-5-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 13th May 2009

NOTIFICATION

No. F 10-13/2009/CT (R)/V (21).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby extends the period of remission in stamp duty, chargeable on instruments executed in favour of "Naya Raipur Development Authority" relating to purchase of private land, under the "Naya Raipur" project, granted upto 31st March 2009 for the year 2008-09 vide Notification No. F-10-37/2008/CT (R)/V (31), Dated 16-04-2008, for further period for the year 2009-10 upto 31-03-2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.